न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 262–दो/2006 विरूध्द आदेश दिनांक 07–11–05 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 81/2004–05 अपील.

रामखेलावन तनय माधवाचार्य उर्फ केशरीप्रसाद
निवासी अजगरहा, तह0 हुजूर,
जिला रीवा, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

1– पदुमनाथ पान्डेय वास्तविक नाम पदमनाम पान्डेय
तनय शिवप्रसाद पान्डेय, नि0 बोदाबाग
तह0 हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक – आवेदक
श्री डी0के0 शुक्ला, पैनल अभिभाषक– अनावदेक शासन

आदेश

(आज दिनांक 1-5. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 81/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 07–11–05 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक रामखेलावन मिश्रा व्दारा संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत आवेदनपत्र अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन तहसीलदार ने अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अपर कलेक्टर के रामक्ष प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 23–7–04 व्दारा अनावेदक पद्मनाथ पाण्डेय की आपत्ति इस आधार पर निरस्त की कि आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी तथा आपत्ति आदेश हेतु नियत दिनांक के बाद प्रस्तुत होने से उस पर विचार नहीं किया जा सकता। अपर कलेक्टर ने प्रतिवेदनानुसार नक्शा सुधार के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक पदुमनाथ व्दारा अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 07–11–05 व्दारा अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है कि प्रस्तुत पंजीयत विकयपत्र का विधिवत परिशीलन कर हितबध्द पक्षकारों को सुनवायी का अवसर देते हुए प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि खसरा नं0 93 का क्षेत्रफल अधिकार अभिलेख में क्षेत्रफल 0.40 एकड़ दर्ज है, किन्तु नक्शा 0.40 एकड़ का ना होकर मात्र 0.27 एकड़ का तैयार हुआ है। अपर कलेक्टर व्दारा राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार से विधिवत जॉच कराये जाने के पश्चात नक्शा में त्रुटि होने से सुधार के आदेश दिये गये। यदि गयाप्रसाद को किया गया रकबा कम था तो अधिकार अभिलेख के इन्द्राज के विरूध्द कार्यवाही की जाना चाहिये थी। अधिकार अभिलेख एवं खसरों में दर्ज क्षेत्रफल को नक्शा सुधार में चुनौती नहीं दी जा सकती। नक्शा में इन्द्राज अधिकार अभिलेख में

1.5.14

दर्ज क्षेत्रफल के आधार पर ही किया जा सकता है, किन्तु इस ओर ध्यान नहीं देकर अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि यह आराजी रामरतन वल्द सूरजदीन ने दिनांक 8–2–65 को गयाप्रसाद ने कय की थी जिसका रकबा 0.30 एकड़ है। उनका तर्क है कि आ.ख.नं0 94 के सहखातेदारों को बिना सुने नक्शा सुधार के आदेश अपर कलेक्टर ने दिये हैं। अनावेदक व्दारा आपत्ति भी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जिसका विधिवत निराकरण अपर कलेक्टर व्दारा नहीं किया गया, इस कारण अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अपर कलेक्टर के अभिलेख एवं आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा दिनांक 05–7–04 को प्रतिवेदन मूलतः अपर कलेक्टर को प्रेषित करने पर अपर कलेक्टर ने अपनी आदेश पत्रिका दिनांक 13–7–04 में यह अंकित किया है कि –

"प्रकरण प्रस्तुत। उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी हुजूर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। दोनों पक्षों के लिखित तर्क पूर्व से पेश है। आदेशार्थ 23–7–04"

अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 23–7–04 व्दारा आपत्ति इस आधार पर खारिज की गयी है कि आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी, आपत्ति के साथ कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, इस स्टेज पर जब प्रकरण आदेश हेतु नियत है, पर विचार नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी/अनावेदक व्दारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विकयपत्र की छाया प्रति में यह आराजी रामरतन व्दारा गयाप्रसाद को विकय की गयी है जिस पर आराजी नं0 72 रकबा 0.30 एकड़

11/5/14

दर्ज है, तब नक्शा तरमीम 0.40 एकड़ का किस हैसियत से कराया जा सकता है। अपर कलेक्टर को प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था। यह इसलिये भी आवश्यक था क्योंकि रामलेखावन ने पदुमनाथ को आवेदनपत्र में अनावेदक क0–2 बनाया गया था। अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति का अपर कलेक्टर व्दारा विधिवत निराकरण किया जाना चाहिये था, किन्तु अपर कलेक्टर व्दारा आपत्ति का निराकरण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिवेदन के आधार पर नक्शा सुधार के आदेश देने से उसे निरस्त करने में अपर आयुक्त व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनाक 07–11–05 यथावत रखा जाता है। प्रकरण अपर आयुक्त व्दारा दिये गये निर्देशानुसार विधिवत निराकरण करने हेतु अपर कलेक्टर को वापिस किया जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0